राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3985/2025

1. बबलू राम
2. अनिता कुमारी सैनी
3. विमला चौधरी
4. सविता बैरवा
5. सुमन कुमारी
6. प्रभा
7. कविता मीणा
8. भागयश्री मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

अति मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

– प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	22.08.2025
आदेश की दिनांक	:	26.08.2025
अपीलार्थी की ओर से	:	**श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता**

समक्ष :– **चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार पंचायत राज विभाग ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 273 के प्रावधानों के अनुसार जिला परिषदों द्वारा कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा 2013 आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थीगण का भी चयन किया गया। जिनमें से बोनस अंक कम करने पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। जिसमें स्थगन आदेश से पूर्व जिला परिषद अलवर ने दिनांक 26.06.2013 (अनुलग्नक–2) को करीब 63 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति प्रदान की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण शेष कनिष्ठ सहायकों के बोनस अंक विवाद के कारण पदस्थापन रोका गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय होने के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात् विभाग ने बोनस अंक देते हुए आदेश दिनांक 24.11.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थीगण की कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की गई। जिसकी पालना में

अपीलार्थीगण ने दिनांक 24.11.2022 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थीगण को देरी से कार्यग्रहण करवाया गया। जबकि अपीलार्थीगण वर्ष 2013 के चयनित कार्मिक है। जिसमें अपीलार्थीगण का कोई दोष नहीं है। परन्तु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण को देरी से नियुक्ति प्रदान की तथा अपीलार्थीगण को अन्य कार्मिकों की भांति वरिष्ठता व नोशनल फिक्सेशन का लाभ नहीं दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी सं. 3 को दिनांक 16.02.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को वर्ष 2013 में चयनित कार्मिकों के समान वरिष्ठता व नोशनल फिक्सेशन का लाभ दिया जावें तथा अनुभव का लाभ दिया जावें। जिस पर प्रत्यर्थीगण ने कोई विचार नहीं किया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थीगण के समान सुमनलता जैमन वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी को भी राजस्थान लोक सेवा आयोग की मेरिट में वरिष्ठ होने के बावजूद वरिष्ठ अध्यापक हिन्दी के पद पर बाद में नियुक्ति प्रदान की गई तथा सुमनलता जैमन से कनिष्ठ को दिनांक 20.09.2012 को समस्त परिलाभ नोशनल फिक्सेशन करते हुए दिये गये तथा सुमनलता को बाद में नियुक्ति प्रदान की गई। जिसने माननीय उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 11638/2017 प्रस्तुत की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठता के अनुसार अपीलार्थीगण के प्रकरण का पुनः परीक्षण किया जावें तथा नियमानुसार अन्य कार्मिकों के समान लाभ प्रदान किये जावें। जिला परिषद, उदयपुर में वर्ष 2013 की विज्ञप्ति के आधार पर अन्य कनिष्ठ सहायकों को दिनांक 02.07.2013 को नियुक्त किया गया तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् अक्टूबर 2022 में शेष कार्मिकों की नियुक्ति की गई। जिनका माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जिला परिषद उदयपुर ने विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोगुन्दा जिला उदयपुर को दिनांक 27.05.2025 को अन्य कार्मिकों की भांति दिनांक 02.07.2013 से काल्पनिक परिलाभ देते हुए वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की दिनांक से तथा एरियर दिये जाने की अनुशंषा की है। अपीलार्थीगण का भी प्रकरण समान है। (अनुलग्नक–4)

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थीगण को वर्ष 2013 में नियक्त कनिष्ठ सहायकों की भांति दिनांक 26.06.2013 से काल्पनिक परिलाभ देते हुए वरिष्ठता, वेतनवृद्धियां देते हुए नोशनल फिक्सेशन किया जावें।

हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विशाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगर्ण को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य